

## संवधिन पीठ ने कहा उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की “सहायता और सलाह” मानने को बाध्य

### चरचा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संवधिन पीठ ने लेफ्टनेंट-गवर्नर (Lieutenant-Governor-LG) और दलिली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को चतिरिति करते हुए कहा कि लेफ्टनेंट-गवर्नर भूमि, पुलसि और पब्लिक आरडर के मामलों को छोड़कर दलिली सरकार के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मंत्रपरिषद की “सहायता और सलाह” उन पर बाध्यकारी है।

### नियम के महत्वपूर्ण बहुत

- यह फैसला एक संवधिन पीठ द्वारा दिया गया जसिमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा, जस्टसि ए.के. सीकरी, जस्टसि ए.एम. खानवलिकर, जस्टसि डी.वाई. चंद्रचूड और जस्टसि अशोक भूषण शामलि थे।
- दलिली सरकार ने 4 अगस्त, 2016 के दलिली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जसिमें उप-राज्यपाल (लेफ्टनेंट गवर्नर) को प्रशासनिक हेड बताते हुए कहा गया था कि वह मंत्रमिडल की सहायता और सलाह मानने के लिये बाध्य नहीं हैं।
- कोर्ट ने दलिली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए कहा कि लेफ्टनेंट-गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र नियम लेने की शक्ति नहीं है। उन्हें या तो मंत्रपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ पर कार्य करना होगा या उनके द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित करनी भी होगी।
- पीठ ने कहा, अनुच्छेद 163 की भाषा अनुच्छेद 239AA के उपबंध चार जैसी ही है परंतु इसमें सरिक इतना ही अंतर है कि प्रविष्टि 1, 2 और 18 के संबंध में वधिनसभा कानून नहीं बना सकती है जिसके लिये उप-राज्यपाल के पास विशिष्टकार हैं। अतः उप-राज्यपाल के पास कसी भी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार हैं।
- पीठ ने अपनी अलग कत्ति समेकति राय में लेफ्टनेंट-गवर्नर को सरकार के हर “मामूली” विविध को राष्ट्रपति के पास भेजने के खलाफ चेतावनी भी दी।
- न्यायालय ने कहा, उप-राज्यपाल को सरकार के साथ सौहारदरपूरण तरीके से काम करना चाहयि। फैसले में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि उप-राज्यपाल यांत्रिक रूप से सभी मामले स्व-विविक के बना राष्ट्रपति को संदर्भित नहीं कर सकते हैं।
- न्यायमूरतचंद्रचूड ने कहा कि नियम लेने का वास्तविक अधिकार नियाचति सरकार के पास है क्योंकि वह जनता के प्रतिजिवाबदेह है। लेफ्टनेंट-गवर्नर को नियाचति सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहयि। न्यायमूरतचंद्रचूड ने कहा, “दलिली की विशेष स्थितिके प्रकाश में दलिली और केंद्र के बीच संतुलन की आवश्यकता है।”
- न्यायमूरतअशोक भूषण ने अपने अलग फैसले में कहा कि संवधिन की व्याख्या समय की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहयि। नियाचति सरकार की राय का सम्मान किया जाना चाहयि।
- न्यायमूरतभूषण ने कहा, कि संवधिन ने यह नहीं कहा कि सभी मामलों में उप-राष्ट्रपति की सहमतिप्राप्त की जानी चाहयि।

### दलिली को पूरण राज्य का दरजा नहीं

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, नौ जजों की संवधिन पीठ के फैसले के आलोक में दलिली को पूरण राज्य का दरजा नहीं दिया जा सकता है। संवधिन के अनुच्छेद 239AA के मुताबिक उप-राज्यपाल मंत्रमिडल के कार्यों और फैसलों को मानने के लिये बाध्य हैं और वे स्वतंत्र रूप से तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक संवधिन उन्हें इसकी अनुमतिनहीं देता है।
- पीठ ने कहा, दलिली विशेष अधिकार प्राप्त केंद्रशास्ति प्रदेश है। दलिली के बारे में फैसला लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दलिली सरकार कसी तरह के विशेष कार्यकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।